"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 315] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2011—अग्रहायण 21, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-1/2011/1-6.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011 (क्र. 23 सन् 2011) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिसम्बर 2011 के बारहवें दिन को उक्त अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में नियत करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 3-1/2011/1-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-1/2011/1-6, दिनांक 12-12-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, सचिव.

Raipur, the 12th December 2011

NOTIFICATION

No. F 3-1/2011/1-6.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, appoints the twelth day of December, 2011 as the date on which said Act shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NIDHI CHHIBBER, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.